ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 81

सहयोग शुल्क : रु. 1 / सितम्बर: 2023

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगों के लिए बने कानून उनके जीवन का मेरुदंड है

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगों के लिए बने कानून उनके अधिकार है

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

हाल ही मैं हमारे पूरे देश ने स्वतंत्रता पर्व मनाया, इस स्वतंत्रता पर्व की सब को हार्दिक शुभकामनाएं । स्वतंत्रता पर्व हमें हर वर्ष यह स्मरण दिलाता है कि हम न केवल शारीरिक रुप से बल्कि मानसिक रुप से भी स्वतंत्र है । एक स्वतंत्र नागरिक होते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि देश के संविधान, कानून और अन्य लोगों की स्वतंत्रता का भी हम सम्मान करें । हमारी स्वतंत्रता अन्य किसी के जीवन में बाधा न बनें यह देखते हुए हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा । अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है यह हमें हमेशा स्मरण में रखना होगा । आज हमारा देश विकास की ऊंचाईयों को छू रहा है । संसार के अन्य कई देश भी हमारे देश की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं । देश की बौद्धिक संपदा ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है ।

आज के हमारे इस अंक में सुधा चंद्रन जैसी जूजारु और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचनेवाली अदाकारा के बारे में बात है । सुधा चंद्रन एक मार्ग अकस्मात के कारण अपना पैर गंवा देने के बाद भी उन्होंने हिंमत नहीं हारी और केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया । एक पैर ना होने के बाद भी अपनी लगन और हिम्मत से उन्होंने नृत्य में बडा मुकाम हासिल किया है । सुधा चंद्रन जैसे लोग सारे संसार के दिव्यांगों के लिए प्रेरणामूर्ति है ।

सरकार दिव्यांगों के लिए कानून बनाकर उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करने का अथक प्रयास करती है । उस कानून के समयोचित पालन होने पर दिव्यांगों को न केवल अधिकार और सुरक्षा मिलती है बल्कि साथ साथ सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी मिलता है । सरकार ऐसे सारे प्रयासों की हम सराहना करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

सितम्बर : 2023, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 81

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

"Loses a Foot, Walks a Mile" सुधा चंद्रन दिव्यांगों की प्रेरणामूर्ति

सुधा चंद्रन जन्म व शिक्षा (Sudha Chandran Life Story)

मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन (Biography of Sudha Chandran) का जन्म 27 सितम्बर 1964 (Biography of Ramola Sikand) को भारत के केरल राज्य के एक सामान्य परिवार में हुआ। इनके माता-पिता बेहद सामान्य परिवार के होते हुए भी मुंबई में इन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन में ही सुधाजी की नृत्य के प्रति रुचि पैदा हो गयी थी, और यही वजह हैं कि उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वे स्कूल में पढ़ाई के बाद नृत्य का अभ्यास करती थी, सुधाजी ने 16 वर्ष तक आयु में 75 से अधिक स्टेज शो पूरे कर लिए लिए थे। उनकी पहचान भारतनाट्यम की एक अच्छी कलाकार के रूप में होने लगी थी। सुधाजी नृत्य के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं।

सुधा चंद्रन की सड़क दुर्घटना और सफलता पूर्वक कृत्रिम पैर लगना

सुधा चंद्रनजी (about sudha chandran) अपने माता-पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित मन्दिर से लौट रही थी, तभी उनकी बस अचानक सामने आ रहे ट्रक से टकरा गयी। इस दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हुए जिसमें सुधाजी भी शामिल थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुधाजी के माता-पिता को बताया कि इनके एक पैर की हड्डी टूट गयी हैं और इनके पैर में गैंग्रीन

जो एक प्रकार का संक्रमण होता हैं, वो हो चूका हैं। अगर समय रहते इनका पैर नहीं काटा गया तो सुधाजी की जान भी जा सकती हैं। परिस्थितियों के आगे माता-पिता ने डॉक्टरों को पैर काटने की अनुमति दे दी।

यह दौर suda chandran के जीवन का सबसे ख़राब दौर था, जो लड़की नृत्य करते नहीं थकती थी अपना सारा जीवन ही जिसे समर्पित कर दिया हो, जिसको लेकर इतने सारे सपने देखे हो। अब ऐसी स्थितियों में सुधाजी को यह सब चूर-चूर होते दिख रहे थे। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को कोसते रहती थी, दिन-रात डांसर बनने का सपना देखने वाली सुधा अब अपने हालातों के आगे बेबस थी।

सुधाजी sudha chandran story की यह हालत देखकर इनके माता-पिता भी परेशान रहने लगे, उनकी दृष्टि में अपनी बेटी का अंधकारमय भविष्य साफ़-साफ़ दिख रहा था। कहते हैं कि हालात यहाँ तक आ चुके थे कि इनके माता-पिता ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ घर का सामान लेने जाना होता था तो वे रात में ही बाहर निकलते थे ताकि लोग उनसे सुधाजी के बारे में प्रश्न न पूछे। यह सब देखकर सुधाजी बेहद दुखी होती थी।

ऐसे हालातों में सुधाजी ने प्रण ले लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाये लेकिन जीवन में कुछ ऐसा करना हैं कि जिस पर माता-पिता को मुझे अपनी बेटी कहने पर गर्व महसूस हो। सुधाजी ने नृत्य को फिर से अपनाने का फैसला किया। अस्पताल में ही लेटे-लेटे सुधाजी ने अख़बार में एक विज्ञापन देखा जिसमें " चमत्कारपूर्ण पैर" (Miraculous foot) के बारे में लिखा था। डॉ. सेठी जो दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाने के लिए लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही डॉ. सेठी ने इस क्षेत्र में Megsaysay Award भी प्राप्त किया हैं।

सुधा चंद्रनजी ने जयपुर फूट के डॉ. सेठी से मिलने के लिए उन्हें पत्र लिखा और सौभाग्य की बात यह कि

डॉ सेठी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गये।

जब पहली बार सुधाजी (information about sudha chandran) डॉ. सेठी से मिली तो पहला सवाल यही किया कि डॉ. क्या वे "जयपुर फूट" की मदद से पहले की तरह दुबारा चल पाएंगी ? क्या वो फिर से पहले की तरह नृत्य कर पाएंगी ? इस पर डॉ. सेठी ने यही कहा कि यह सब आप पर निर्भर करता हैं आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता हैं। अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से यह चाहती हैं ऐसा संभव हैं। सुधाजी के पैर का ऑपरेशन हुआ और उनको कृत्रिम पर लगा दिया गया। धीरे-धीरे समय के साथ सुधाजी का हौसला बढ़ने लगा, अपने दुखद अतीत को भुलाकर सुधाजी अपने स्वर्णिम भविष्य के सपने को सच करने पर ध्यान देने लगी। वे कृत्रिम पैर की मदद से प्रतिदिन नृत्य का अभ्यास करने लगी इस दौरान उन्हें बहुत दर्द भी होता था और कभी-कभी उनके पैर से खून भी निकलने लगता था, बावजूद इन सबके उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा।

बेहद कठिन अभ्यास और मेहनत के चलते सुधाजी अच्छा नृत्य करने में सक्षम हो गयी, अब समय था सही मौका मिलने का और दुनिया के सामने अपनी योग्यता को सिद्ध करने का। सुधाजी इसके लिए सही मौके के इंतज़ार में थी।

सुधाजी के ऑपरेशन के बाद उनका पहला मौका

लम्बे इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब सुधाजी को दुर्घटना के बाद पहले कार्यक्रम के लिए आमन्त्रित किया गया। यह मौका था "सेंट जेवियर्स कॉलेज" में परफॉर्मेंस देने का, और उस दिन के अखबर की हैडलाइन थी "Loses a Foot, Walks a Mile" इस तरह की हैडलाइन ने सुधाजी के हौसले को और भी बढ़ा दिया। पूरा शो लोगों की भीड़ से से खचाखच भरा हुआ था, इतने लम्बे समय बाद शो में परफॉर्म करना सुधाजी के लिए यह पहला मौका था इसलिए वे थोड़ी नर्वस भी थी लेकिन वे किसी भी हालत में ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। जब सुधाजी ने पहली बार नकली पैर के साथ नृत्य

किया तो पूरा सभागार तालियों की गडगडाहट से गूँज उठा, यह बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी था । सुधाजी के हौसले और जूनून का हर कोई कायल था, अपनी पहली परफॉर्मेंस में सुधाजी के चाहने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गयी ।

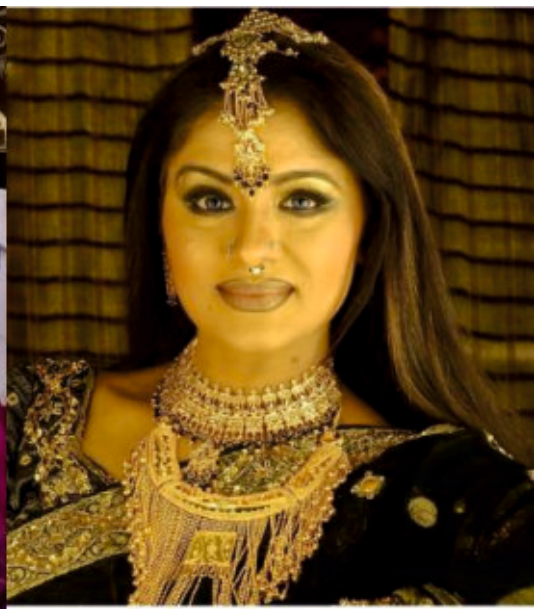

धीरे-धीरे सुधा चंद्रनजी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, उनके पिता ने सुधाजी के पैर छुते हुए कहा कि वे माता सरस्वती के चरणों में वंदना कर रहे हैं । क्योंकि उनकी बेटी ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया हैं । सुधाजी रातोंरात एक लोकप्रिय स्टार बन गयी ।

सुधा चंद्रनजी के जीवन पर बनी फिल्म

सुधाजी की लोकप्रियता बढ़ने के कारण उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां अनेकों पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी । इसी दौरान लोकप्रिय फिल्म निर्माता रामोजी राव की नज़र भी इनके संघर्ष पर पड़ी । रामोजी राव ने सुधाजी के जीवन से प्रेरित होकर उन पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया । 1984 में तेलुगु में सुधाजी के जीवन पर आधारित फिल्म "मयूरी" बनी, जिसमें मुख्य पात्र का रोल स्वयं सुधाजी ने निभाया था । इस फिल्म को दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया । इस फिल्म में सुधाजी के नृत्य को भी दर्शकों ने खूब सराहा । तेलुगु फिल्म "मयूरी" का बाद में हिंदी वर्जन भी आया जो "नाचे मयूरी" नाम से आई । सुधाजी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

इसके बाद सुधाजी ने कई अन्य फिल्मों व टीवी सीरियल में भी काम किया । वर्तमान में भी कई ऐसे टीवी सीरियल हैं जिनमें सुधाजी काम कर रही हैं ।

सुधा चंद्रन की कहानी (Biography of Sudha Chandran in Hindi) से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, कि कैसे एक भयानक दुर्घटना को उन्होंने अपने सपनों के आगे नहीं आने दिया । और शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया ।

दिव्यांगता के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए भाविन परमार को सम्मान

डी.सी. फिजिकली चेलेन्ज लायन भाविन परमार को दिव्यांगता के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाकीय कार्य के लिए लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रीक्ट ३२३२-बी.१ के स्पेशियल डायमंड एवोर्ड से सम्मान किया गया । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२३२-बी.१ के द्वारा दिनांक १५-८-२०२३ को इस विशिष्ट सेवाकीय कार्य को सम्मानित करने के लिए आश्रम रोड स्थित होटल हयात में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम में डी.सी. फिजिकली चेलेन्ज भाविन परमार को दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष और उत्कृष्ट कार्य के लिए डिस्ट्रीक्ट गवर्नर लायन कमलेश शाह ३२३२ बी.४ वडोदरा के करकमलों से स्पेशियल डायमंड एवोर्ड दिया गया था । भाविन परमार ने अपने उत्कृष्ट सेवाकीय कार्यों से यह सम्मान पाकर केवल अपने परिवार और गांव का ही नहीं पर पूरे धोलका क्षेत्र को गौरवान्वित किया है । साथ ही लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रीक्ट ३२३२-बी१ के पास्ट डिस्ट्रीक्ट गवर्नर लायन रसिकभाई पटेलने भी भाविन परमार को दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित प्रमाणपत्र देकर उनका सम्मान बढ़ाया है ।

स्मित चाइल्ड एज्यकेशन ट्रस्ट के बच्चों ने मनाया स्वतंत्रता पर्व

अहमदाबाद के अखबारनगर नवा वाडज स्थित स्मित चाइल्ड एज्युकेशन ट्रस्ट के मनोदिव्यांग बच्चों ने भी १५ अगस्त स्वातंत्र्य हर्षोल्लास के साथ मनाया था । राष्ट्रवंदना कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रगीत के बाद मनोदिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया था । मनोदिव्यांग बच्चों को एज्युकेशन कीट का उपहार दिया गया था । इस स्वातंत्र्य पर्व के हर्षोल्लास के साथ साथ सभी बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन की सुविधा भी की गई थी ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा दिव्यांगों के लिए खेलों का आयोजन

गायत्री विकलांग मानव मंडल अहमदाबाद में दिनांक १२-०८-२०२३ के दिन सवेरे ८-०० बजे गुजरात के विभिन्न जिलों के दिव्यांगों को खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था । सुरेन्द्रनगर, जामनगर, काठियावाड, जूनागढ़, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र, कपडवंज जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित किए गये दिव्यांग भाई बहनों ने प्रेरणा कॉलेज में आमंत्रित इन खेलों में हिस्सा लेकर वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया था । इन खेलों में हिस्सा लेने वाले इन दिव्यांग भाई बहनों के चेहरों पर खेल में हिस्सा लेने का उत्साह साफ दिख रहा था । यह खेल उनके लिए केवल खेल नहीं था पर वह भी आगे चलकर अपने देश के लिए खेल सकते हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं यह भावना उनके चेहरों पर और दिल में थी । दिव्यांगता को अपनी मर्यादा न मानकर वे भी अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया में अपना सामर्थ्य सिद्ध कर सकते हैं । अगर इनसान अपने मन में ठान ले तो हिमालय को भी सर कर सकता है । ईश्वर ने भी सभी दिव्यांगों को किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है, आवश्यकता है केवल अपनी क्षमता के बदले सामर्थ्य को पहचानकर सही दिशा में आगे बढ़ना ।

इन खेलों में गायत्री विकलांग मानव मंडल की अकाउन्टन्ट श्रीमती रुक्ष्मणीदेवी ने भी हिस्सा लिया था । उन्होंने गोलाफेंक, चक्रफेंक, वक्र स्पर्धा, शुटींग, केरम, डिब्बा फोड जैसे खेलों में हिस्सा लेकर उपस्थित दिव्यांगों का उत्साह वर्धन किया था । क्रिकेट का खेल भी इन खेलों में शामिल था । इन खेलों में हिस्सा लेने वाले कई दिव्यांगों ने केवल अपनी किसी अंग की मर्यादा को ही नहीं लांधा था किंतु अपनी उम्र की सीमा को भी लांधकर खेलों में हिस्सा लिया था । हिस्सा लेने वाले सभी दिव्यांगों को प्रेरणा कॉलेज की ओर से प्रमाणपत्र भी दिए गये थे । प्रथम और द्वितीय क्रम पर आये प्रतिभागियों को इनाम भी दिए गये थे ।

इन खेलों के माध्यम से हम केवल आनंद ही अर्जित नहीं करते किंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन की मधुर स्मृतियों के लिए भी ये हमारे लिए बेहद आवश्यक है । रुक्ष्मणीबहन ने सभी दिव्यांगों को खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह भी समझाया था । उन्होंने सभी दिव्यांगो को आवश्यक फोर्म भरने में सहायता की थी ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा राष्ट्रवंदना कार्यक्रम

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा शरणम् प्राथमिक स्कूल में १५ अगस्त के दिन ८-०० बजे राष्ट्रध्वज फहराकर स्वतंत्रता पर्व का उत्सव मनाया गया था । राष्ट्रवंदना कार्यक्रम के बाद स्कूल में परीक्षा और विभिन्न स्पर्धाओ में प्रथम और द्वितीय क्रम पर उत्तीर्ण हुए बच्चों को स्कूल के आचार्य और उपस्थित महमानों के कर कमलो से उपहार वितरित किए गये थे । उपहार के रुप में बच्चों को पेन, पेन्सिल, इरेजर, नोटबुक आदि चीजें पाकर बच्चें उत्साहित और आनंदित हो गये थे । कार्यक्रम में संस्था की स्थापक रुक्ष्मणीदेवी का स्कूल के आचार्य और शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया था ।

बिहार की एक दिव्यांग बच्ची एक पैर से ९० किलोमीटर चलकर बाबा के धाम पहूँची

मुझफ्फरपुरः बिहार के मुझफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम से आस्था की एक अदभूत तस्वीर सामने आयी है। दिव्यांग राजनंदीनी एक पैर से चलकर जलाभिषेक करने के लिए पहेलेजा घाट से लगभग ९० किलोमीटर तक एक पैर से चलकर गरीबनाथ धाम पहूँची थी। दिव्यांग बच्ची ने अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना की थी। राजनंदिनी के इस अटूट विश्वास और श्रद्धा-आस्था की चारों ओर काफी चर्चा हो रही है। वैशाली जिले के हाजीपुर की रहनेवाली राजनंदिनी अपने पिता के साथ देर रात को बाबा गरीबनाथ धाम पहूँची थी। राजनंदिनी की इस अदभूत हिंमत और आस्था को देखने के लिए कई लोग बाबा मंदिर में उमट पडे थे।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की संक्षिप्त जानकारी

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता (व्यक्तिगत), समानता तथा बन्धुत्व सुनिश्चित करता है, तथा विकलांगता ग्रसित नागरिक भी भारत के मानवीय विविधता के एक अनिवार्य अंग है।

1. यह कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हें तथा उसकी अभिपुष्टि कि है और इस प्रकार एक अन्तरराष्ट्रीय घोषणा में मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रोन्नत करने, संरक्षण देने के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।

विकलांगताग्रसित व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं:

- पूर्ण सहभागिता एवं समावेश सहित सत्यनिष्ठा, गरिमा, तथा सम्मान का।
- मानवीय विविधता का उपभोग मानवीय अन्तर्निभरता का।
- शर्मिन्दगी, अपशब्द अथवा अन्य किसी प्रकार से अशक्तिकरण तथा रूढ़िबद्धता से मुक्त जीवनयापन का।
- अन्य के साथ समानता के आधार पर सभी नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक अधिकार जिनकी गारंटी अन्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों में दी गयी है – का उपभोगकर्त्ता होना।

भारतीय संघ ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 63वें वर्ष में "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम निम्न प्रकार से पारित किया है:

1. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम-१९९५)

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

2. ऑटिजम, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-१९९९

यह अधिनियम राष्ट्रींय न्यास के गठन, स्थायनीय स्तर समितियां, न्यास की जवावबदेही और निगरानी का प्रावधान करता है । इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के चार वर्गों के कानूनी अभिरक्षकों और उनके लिए यथासंभव स्वातंत्र जीवनयापन के लिए समर्थकारी परिवेश के सृजन के प्रावधान करता है।

भारतीय संविधान दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संबंध में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है । परन्तु वास्तविकता में, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से दिव्यांगजन भेदभाव और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं । दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव के कारण दिव्यांगता की मात्रा दुगनी हो जाती है । आम सार्वजनिक अनुभूति और पूर्वधारणा के कारण दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमता को काफी हद तक कम आँका गया है, जिसके कारण कम उपलब्धियों का दोषपूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है । इसके कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है और उनका विकास अवरूद्ध होता है। दिव्यांगता के अर्थ को रहस्यपूर्ण नहीं रखने और दिव्यांगता के मिथकों और गलतफहमियों का मुकाबला करने के लिए हम सब ने स्वयं को शिक्षित करने में एक लंबी समयावधि ली है । हमें प्रतिदिन इन नवीन अवधारणाओं को क्रियाशील बनाए रखने की जरूरत है ताकि वे पुराने नकारात्मक मनोभाव और अनुभूतियां प्रकट न हो सकें ।

3. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

स्वतंत्रता के बाद से लेकर नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमित होने तक दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया । इसलिए उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए निरन्तर कार्य करने के उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक वैधानिक तन्त्र की जरूरत थी । यह अधिनियम सुगम्यता, नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित रहा है ।

4. दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु विभाग

नीतिगत मामलों और क्रिया-कलापो के सार्थक रूझानों पर ध्यान केंद्रित करने और दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता

मंत्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अलग विभाग बनाया गया । विभाग की कल्पना है- एक समस्त समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे सृजनात्मक, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें।

5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप दोहरे उद्देश्यों सहित, उसके सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो 19.04.2017 से प्रभाव में आया है। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास के माध्यम से दिव्यांगजन के पूर्ण और प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के उपाय उपलब्ध कराता है।

6. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) स्कीम

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) स्कीम के तहत पिछले तीन वर्ष के दौरान 5624 कैंपो के माध्यम से 7.60 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 465.85 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता का उपयोग किया गया। योजना के अंतर्गत देशभर में सुपात्र दिव्यांगजनों को 3730 मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलें वितरित की गई। 248 मैगा कैंप/विशेष कैंपो का आयोजन किया गया, जिनमें एडिप योजना के अंतर्गत सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए 27 राज्यों को कवर किया गया।

7. बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर कार्य

बच्चों की श्रवण दिव्यांगता पर काबू करने के लिए कोकलियर इंप्लांट सर्जरियों के उद्देश्य से देशभर में १७२ अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया। आज की तारीख में ८३९ कोकलियर इंप्लांट सर्जरियाँ सफलतापूर्वक पूरी की गई है और उनके पुनर्वास का कार्य चल रहा है।

(वधु आवता अंके)

ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर